वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2006–07

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
चौथी व पाँचवी मंजिल ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट
भोपाल – 462 016

विषय – सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	कार्यकारी संक्षेपिका	
2.	वर्ष 2006–07 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों की प्रमुख विशेषताएं	
3.	वर्ष 2006–07 के दौरान जारी किये गये विनियम/विनियमों में संशोधन एवं परिवर्धन	
4.	उपभोक्ता सेवाएं तथा विनियमन प्रवर्तन; अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निष्पादित किये गये अनुपालन मापदण्ड	
5.	वित्तीय वर्ष 2006–07 का आयोग का वार्षिक लेखा जोखा	
	परिशिष्ट 1 से 5	

अध्याय – I

कार्यकारी संक्षेपिका

मध्यप्रदेश राज्य का विद्युत क्षेत्र बढ़ती हुई विद्युत मांग की पूर्ति, पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी लाये जाने तथा विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्र के विभिन्न घटकों के संतुलित विकास की दिशा में कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है । इस वर्ष म.प्र. पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (म.प्र. शासन का उपक्रम) के संस्थापन से विद्युत व्यापार की गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं । इससे वर्ष के दौरान राज्य में विद्युत क्षेत्र का और विस्तार हुआ है। राज्य के विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सुधारों को लागू करने में एवं राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों को वाणिज्यिक आधार पर सक्षम एवं दक्ष इकाईयों में परिवर्तित करने के कार्य में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार विद्युत कंपनियों को तकनीकी तथा आर्थिक मामलों में समुचित रूप से दक्ष किया जाना आयोग का मुख्य लक्ष्य है जिससे कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त सेवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध की जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

1.2 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना माह फरवरी, 1999 में, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत की गई है। विद्युत सुधारों को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 में मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम अधिनियमित किया गया । तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 पारित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधि है जो कि दिनांक 10 जून, 2003 से लागू हो गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, राज्य आयोग द्वारा प्रतिवर्ष एक बार पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना अपेक्षित है तथा प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जावेगी तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा यथा शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा ।

1.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पूर्व वर्षों में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं । यह प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 से संबंधित है ।

1.4 आयोग के कृत्य :

1.5 आयोग के मुख्य कृत्यों में सम्मिलित हैं :–

- राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय, पारेषण और चक्रण (व्हींलिंग) की दरों (टैरिफ) का निर्धारण करना ।
- वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के विद्युत क्रय और वितरण की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेन्ट) प्रक्रिया का विनियमन करना ।
- राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा चक्रण (व्हीलिंग) की प्र्क्रिया बनाना।
- पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और विद्युत व्यापारियों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को राज्य के भीतर इनके संचालन हेतू अनुज्ञप्तियों को जारी करना ।
- अनुज्ञप्तिधारियों को अन्य व्यक्तियों के साथ समन्वयन करके विद्युत के उत्पादन, पारेषण, उप–पारेषण, वितरण, प्रदाय और उपयोग की अभिवृद्धि के लिये परिप्रेक्ष्य परियोजनाएं और योजनाएं बनाने के निर्देश देना ।
- नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्त्रोतों तथा विद्युत विक्रय के लिये विद्युत के सह–उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना ।
- अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का विनिर्दिष्ट किया जाना तथा उन्हें प्रवृत्त/प्रभावशील किया जाना ।

1.6 वित्तीय वर्ष 2006–07 की गतिविधियों का सारांश

1.7 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाईयों के उपरांत निम्न टैरिफ आदेश जारी किये गये हैं :

(i) राज्य की तीन वितरण कंपनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 का खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 30.03.2007 को जारी किया गया।

(ii) उत्पादन कंपनी के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश को जारी रखे जाने बाबत एक आदेश जारी किया गया ।

(iii) पारेषण कंपनी की सत्यापन याचिका को निर्धारित किया गया तथा बहुवर्षीय टैरिफ को जारी रखे जाने के संबंध मे आदेश जारी किया गया ।

1.8 वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा राज्य के विद्युत क्षेत्र में सुधार के साथ–साथ उपभोक्ताओं के हित संवर्धन हेतु कई कदम उठाये गये हैं ।

1.9 आयोग द्वारा राज्य शासन की मांग अनुसार संपूर्ण राज्य में एक समान खुदरा टैरिफ दर सुनिश्चित किये जाने हेतु परामर्श प्रदान किया गया।

1.10 आयोग द्वारा वर्तमान परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप, नवीन विनियम एवं कतिपय विनियमों के संशोधन/परिवर्धन जारी किये हैं जो कि अर्हताओं की आपूर्ति की दृष्टि से अत्यावश्यक हैं ।

1.11 वर्ष 2006–07 में उपभोक्ताओं के हितसंवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यक्षमता में सुधार लाये जाने की दृष्टि से, आयोग द्वारा कई स्वप्रेरणा याचिकाएं दायर की गईं। ये याचिकाऐं विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति में निहित दिशा–निर्देशों के परिपालन से संबंधित हैं ।

1.12 वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान आयोग की स्वप्रेरणा से पंजीकृत याचिकाओं एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तूत याचिकाओं को मिलाकर कुल 114 याचिकाएं दर्ज हुई। कुल 65 याचिकाएं पूर्व वर्ष से लंबित थीं । इस प्रकार, कुल 179 याचिकाओं में से, 127 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि वर्ष के अन्त में शेष 52 याचिकाएं निपटान की प्रक्रिया में हैं ।

1.13 राज्य सलाहकार समिति का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अन्तर्गत किया गया था । वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य सलाहकार समिति की दिनांक 28.09. 2006 तथा दिनांक 17.01.2007 को बैठकें आयोजित की गईं । राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से टैरिफ के अवधारण, उपभोक्ताओं के हित संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की दक्षता में सुधार लाये जाने हेतु आदि अनेक विषयों पर प्राप्त सुझावों को आयोग द्वारा इन विषयों पर अन्तिम आदेश जारी करने के पूर्व समुचित विचार कर जहाँ उचित हो वहाँ इन्हें सम्मिलित किया गया।

1.14 **आयोग का वर्तमान संघटन**

1.15 डा. जे.एल. बोस, राज्य के मुख्य सचिव पद के समकक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। श्री पी.के. मेहरोत्रा के आयोग के अध्यक्ष पद से दिनांक 14 फरवरी, 2007 को पद–निवृत्त होने के पश्चात, डा. जे.एल. बोस द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2007 से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है। आयोग के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है ।

अध्याय – 2

वर्ष 2006–07 के दौरान जारी किये टैरिफ आदेशों की प्रमुख विशेषताएं

2.1 **वित्तीय वर्ष 2007–08 का खुदरा टैरिफ आदेश**

2.2 आयोग ने दिनांक 30 मार्च, 2007 को पारित आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 07–08 हेतु खुदरा विद्युत दरों का अवधारण किया है । सम्पूर्ण राज्य में विद्युत की श्रेणीवार दरें एक समान रखी गई हैं । दरों के अवधारण हेतु तीन वितरण कंपनियों, यथा मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर तथा म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा उनकी टैरिफ याचिकाएं दायर की गई थीं ।

2.3 राष्ट्रीय टैरिफ नीति में निहित है कि वर्ष 2010–11 के अन्त तक, समस्त उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ दर औसत प्रति यूनिट विद्युत प्रदाय लागत के +/- 20 प्रतिशत के अर्न्तगत होना चाहिये । आयोग द्वारा एक सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के माध्यम से उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शिका के निर्धारण हेतु विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित किये गये । विद्युत दरों के अवधारण हेतु, आयोग राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबंधों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करता है तथा उसे विद्युत दरों को इस प्रकार निर्धारित करना होता है कि प्रति–राज्यानुदान (सबसीडी) प्राप्त करने वाली उपभोक्ता श्रेणी (घरेलू तथा कृषि) की विद्युत दरें युक्तियुक्त की जावें तथा इन्हें यथासंभव नीति में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत लाया जावे ।

2.4 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी टैरिफ याचिका में निम्नानुसार विद्युत दरों में अभिवृद्धि प्रस्तावित की गई थी :

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत दरों में अभिवृद्धि

अनुज्ञप्तिधारी	*चालू विद्युत दरों के अनुसार राजस्व प्राप्ति*	*प्रस्तावित विद्युत दरों के अनुसार अतिरिक्त प्राक्कलित राजस्व की प्राप्ति*	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित की गई अभिवृद्धि (प्रतिशत में)*
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2992 करोड़	122 करोड़	4.07%
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2357 करोड़	127 करोड़	5.38%
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2315 करोड़	120 करोड़	5.18%
सम्पूर्ण राज्य हेतु	7664 करोड़	369 करोड़	4.81%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पश्चिम, पूर्व तथा मध्य वितरण कंपनियों द्वारा क्रमशः 4.07 प्रतिशत, 5.38 प्रतिशत तथा 5.18 प्रतिशत विद्युत दरों मे अभिवृद्धि प्रस्तावित की थी, जो कि राज्य स्तर पर समग्र रूप से 4.81 प्रतिशत है ।

2.5 विभिन्न कंपनियों द्वारा वितरण कंपनीवार प्रस्तुत राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित राजस्व आवश्यकता जो कि आयोग द्वारा सूक्ष्म परीक्षण उपरांत अनुमोदित की गई, निम्नानुसार दी गई है :

(राशि करोड़ रूपये में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई राजस्व आवश्यकता (गैर–टैरिफ आय को घटाकर)	आयोग द्वारा अनुमोदित राजस्व आवश्यकता
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	3305.00	2917.35
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2623.04	2430.82
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2874.83	2375.17
योग	**8802.87**	**7723.27**

2.6 तीन कंपनियों द्वारा प्राक्कलित की गई राजस्व आवश्यकता के कुल योग राशि रू. 8802.87 करोड़ के विरूद्ध आयोग द्वारा रूपये 7723.27 करोड़ की राजस्व आवश्यकता निर्धारित की गई है। आयोग ने राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति में दिये गये दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए टैरिफ संरचना को युक्तियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 की प्रति यूनिट औसत विद्युत प्रदाय लागत के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2008 में यह दर 11 पैसे प्रति यूनिट बढ़कर रूपये 3.60 प्रति यूनिट हो गयी है।

2.7 मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु हानियों के स्तर, जिनके आधार पर वितरण टैरिफ दरों का अवधारण किया गया है, निम्नानुसार हैः–

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	28.5 प्रतिशत
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	32.5 प्रतिशत
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	40.0 प्रतिशत

2.8 चालू विद्युत दरों के अनुसार आयोग द्वारा सम्पूर्ण राज्य हेतु रूपये 7679 करोड़ की राजस्व आय की प्राप्ति का अनुमान किया गया है तथा समग्र रूप से टैरिफ दरों में 0.51 प्रतिशत की अभिवृद्धि अनुज्ञेय की है। निम्नदाब (एल.टी.)/उच्चदाब (एच.टी.) श्रेणियों हेतु विद्युत दरों में अभिवृद्धि अथवा कमी निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

आयोग द्वारा अनुमोदित की गई विद्युत दरों में अभिवृद्धि/कमी दर

सम्पूर्ण राज्य हेतु	*चालू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2006–07) के अनुसार आयोग द्वारा प्राक्कलित राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)*	*अनुमोदित टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2007–08) के अनुसार प्राक्कलित राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)*	*राजस्व में अभिवृद्धि/कमी (करोड़ रूपये में)*	*प्रतिशत अभिवृद्धि दर*
निम्नदाब	4248	4319	71	**1.67 %**
उच्चदाब	3431	3399	(–) 32	(–) **0.94 %**
योग	**7679**	**7718**	**39**	**0.51 %**

2.9 विद्युत दरें गैर दूरबीन (नॉन टैलिस्कोपिक) पद्धति पर आधारित है तथा किसी भी श्रेणी हेतु निःशुल्क यूनिटों का प्रावधान नहीं किया गया है।

2.10 वितरण कंपनियों को गैर–मीटरीकृत घरेलू, तथा कृषि संयोजनों को शीघ्रातिशीघ्र मीटरीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कृषि उपभोक्ताओं के प्रत्येक कनेक्शन अथवा संबंधित वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। वितरण ट्रांसफार्मर के मीटर से संयोजित संयोजनों के लिए विद्युत दरें **कम** रखी गई हैं।

2.11 <u>निम्नदाब (एल.टी.) उपभोक्ताओं की श्रेणीवार विशेषताएं</u>

2.12 घरेलू श्रेणी :

(i) आयोग द्वारा प्रति माह 30 यूनिट प्रति माह तक की दर से खपत वाले उपभोक्ताओं को कम भुगतान क्षमता का गरीब श्रेणी का उपभोक्ता माना है तथा इनके लिये

बगैर कोई परिवर्तन किये **पिछले वर्ष के अनुरूप** 265 पैसे प्रति यूनिट की कम दरें रखीं गई हैं जो इस श्रेणी के मीटरीकृत उपभोक्ताओं को ही लागू होगी।

(ii) वे उपभोक्ता जिनकी विद्युत खपत 30 यूनिट से अधिक व 50 यूनिट तक है उनकी विद्युत दरें 270 पैसे प्रति यूनिट की दर से **यथावत** रखी गयी हैं ।

(iii) वे घरेलू उपभोक्ता, जिनकी विद्युत खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक तथा 100 यूनिट प्रति माह तक है, उनके लिए विद्युत दरों मे आंशिक वृद्धि की गई है तथा इसे पूर्व वर्ष की दर 300 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 305 पैसे प्रति यूनिट रखा गया है। अर्थात् इसे 5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 की तुलना में 1.67 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं ।

(iv) वे घरेलू उपभोक्ता, जिनकी विद्युत खपत की मात्रा 100 यूनिट से अधिक है, उनके लिये ऊर्जा प्रभार में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है तथा इसे 350 पैसे प्रति यूनिट रखा गया है। इस श्रेणी के लिए विद्युत दर में 2.94 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(v) स्वयं द्वारा निर्माण किये जा रहे भवनों (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु), सामाजिक / वैवाहिक प्रयोजनों हेतु तथा धार्मिक समारोहों हेतु, अस्थाई संयोजनों के लिए विद्युत दरों को 510 पैसे प्रति यूनिट से **घटाकर** इन्हें 400 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है ।

(vi) घरेलू उपभोक्ताओं को प्रभारित किये जाने वाले न्यूनतम प्रभार को रूपये 30/– प्रति संयोजन **यथावत** रखा गया है ।

(vii) विभिन्न खपत के स्लैब्स हेतु स्थाई प्रभारों को निम्नानुसार अवधारित किया गया हैः

मासिक खपत के स्लैब	शहरी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के स्थाई प्रभार (प्रति माह)	विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं के स्थाई प्रभार (प्रति माह)
30 यूनिटों तक	शून्य	शून्य
31 से 50 यूनिटों तक	रू. 5/–प्रति उपभोक्ता	रू. 2/–प्रति उपभोक्ता
51 से 100 यूनिटों तक	रू. 10/–प्रति उपभोक्ता	रू. 5/–प्रति उपभोक्ता
100 यूनिटों से अधिक	अधिकृत भार पर प्रति आधा किलोवाट हेतु रू. 15/–	अधिकृत भार पर प्रति आधा किलोवाट हेतु रू. 10/–
स्वयं द्वारा निर्माण किये जा रहे भवन (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु), सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजनों हेतु तथा धार्मिक समारोह के अस्थाई कनेक्शनों हेतु	अधिकृत भार पर प्रति आधा किलोवाट हेतु रू. 30/–	अधिकृत भार पर प्रति आधा किलोवाट हेतु रू. 20/–
शहरी क्षेत्रों में गैर–मीटरीकृत संयोजन हेतु	रू.10/–प्रति उपभोक्ता	
गैर मीटरीकृत संयोजन (विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिसूचित तथा राज्य शासन द्वारा परिभाषित किये गये ग्रामीण क्षेत्रों मे)	रू. 2/–प्रति उपभोक्ता	
वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) पर स्थापित मीटर के माध्यम से	शून्य	शून्य

(viii) 100 से अधिक व 200 यूनिट तक तथा 200 यूनिट से अधिक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले अलग–अलग स्थाई प्रभार अब समान कर दिये गये हैं।

(ix) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता के संबंध में शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में अलाभकारी परिस्थितियों का सामना करते हैं, आयोग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभार कम रखें गये हैं। शहरी क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं तथा

अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभारों को पुनरीक्षित नही किया गया है।

(x) विद्युत प्राप्त करने वाले बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्रों में रू. 10/–प्रति उपभोक्ता की दर से तथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 2/–प्रति उपभोक्ता की दर से स्थाई प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(xi) शहरी क्षेत्रों में, बिना मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति माह 77 यूनिटों हेतु 305 पैसे प्रति यूनिट विद्युत दरों के अनुरूप वसूली की जावेगी।

(xii) अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में, बिना मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति माह 38 यूनिटों हेतु 270 पैसे प्रति यूनिट की विद्युत दर से वसूली की जावेगी।

2.13 गैर–घरेलू श्रेणीः

(i) इस श्रेणी हेतु विद्युत दरों में प्रति यूनिट 35 पैसे की **कमी** की गई है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु 545 पैसे प्रति यूनिट की समान दर निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2006–07 की लागू टैरिफ दर से यह समग्र रूप से 6.03 प्रतिशत कम है।

(ii) शहरी क्षेत्रों के गैर–घरेलू उपभोक्ताओं को मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) का विकल्प प्रदान किया गया है जो कि ऊर्जा प्रभार 430 पैसे प्रति यूनिट की दर के साथ स्थाई प्रभार रू. 150 प्रति किलोवाट प्रति माह अथवा रू 120 प्रति केवीए प्रति माह होगा। इसी प्रकार, अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं हेतु यह दर रू. 90 प्रति किलोवाट प्रति माह अथवा रू. 72 प्रति केवीए प्रति माह निर्धारित की गयी है।

(iii) इस श्रेणी के अर्न्तगत अस्थाई संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभारों की दरें वित्तीय वर्ष 2006–07 में 870 पैसे प्रति यूनिट की तुलना में घटाकर 650 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। इन दरों में 25.3 प्रतिशत की कमी हुई है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभार रू. 75 प्रति माह प्रति आधा किलोवाट तथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभार रू. 45 प्रति माह प्रति आधा किलोवाट लागू किये गये हैं ।

2.14 सार्वजनिक जल प्रदाय संयन्त्र तथा पथ–प्रकाश श्रेणी :

(i) इस श्रेणी के उपभोक्ताओ हेतु स्थाई प्रभारों में **कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।**

(ii) नगर पालिका निगम/छावनी बोर्ड, नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत के शीर्ष के अन्तर्गत ऊर्जा प्रभारों में वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु लागू ऊर्जा प्रभारों के मुकाबले में क्रमशः 10 पैसे, 15 पैसे तथा 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

2.15 निम्न दाब उद्योग

(i) इस श्रेणी में शहरी क्षेत्रों तथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं हेतु अलग–अलग स्थाई प्रभारों की वसूली की अवधारणा लागू की गई है।

(ii) गैर मौसमी (नॉन सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु लागू स्लैब्स को **कम** कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 10 अश्वशक्ति से 25 अश्वशक्ति की मांग वाले शहरी उपभोक्ताओं से स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार क्रमशः रू 10 प्रति अश्वशक्ति तथा 10 पैसे प्रति यूनिट कम कर दिये गये हैं।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में वसूल किये जा रहे स्थाई प्रभारों में उल्लेखनीय कमी की गई है। अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 अश्वशक्ति की मांग वाले उपभोक्ताओं को पूर्व में लागू रू. 60 प्रति अश्वशक्ति की तुलना में अब रू. 10 प्रति अश्वशक्ति का भुगतान करना होगा, जो कि 83.33 प्रतिशत **कम** है। तथापि, अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा प्रभार शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही रहेंगे।

(iv) इस श्रेणी के अंतर्गत मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं की टैरिफ दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है।

(v) निम्नदाब श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु पावर फैक्टर प्रोत्साहन भुगतान लागू किया गया है।

(vi) इस श्रेणी के ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं के लिए विभेदक (डिफरेंट) न्यूनतम उपभोग स्तर लागू किये गये हैं। अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम उपभोग स्तर शहरी क्षेत्र के स्तर का 66 प्रतिशत होगा।

2.16 कृषि श्रेणी

(i) इस श्रेणी के उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार के स्थाई प्रभार अधिरोपित नही किये गयें हैं।

(ii) कृषि उपभोक्ताओं हेतु प्रथम 300 यूनिट प्रति माह के उपभोग हेतु **मात्र** 5 पैसे की **वृद्धि** लागू की गई है। इन उपभोक्ताओं से 300 यूनिट से अधिक उपभोग पर 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

(iii) इसी प्रकार, अस्थाई संयोजन वाले उपभोक्ताओं से ऊर्जा प्रभारों में 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है जो कि वित्तीय वर्ष 2006–07 की दर से 1.67 प्रतिशत अधिक हैं।

(iv) मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मर से विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे गैर मीटरीकृत उपभोक्ताओं को लागू ऊर्जा प्रभार 200 पैसे कर दिये गये हैं जो कि वित्तीय वर्ष 2006–07 की दर से समग्र रूप से 20 पैसे प्रति युनिट अथवा 9.09 प्रतिशत कम हैं।

2.17 उच्चदाब (एच.टी.) उपभोक्ता श्रेणीवार मुख्य विशेषताएं

2.18 उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए एक **नई लोड फैक्टर** प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। लोड फैक्टर प्रोत्साहन लागू किये जाने हेतू सीमा, 60% से घटाकर 50% लोड फैक्टर पर लागू की गई है, ताकि और अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सके।

2.19 रेलवे ट्रेक्शन

(i) **स्थायी प्रभार समाप्त** कर दिये गये हैं और 460 पैसे प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।

(ii) रेलवे ट्रेक्शन कनेक्शन सामान्यतः 32 प्रतिशत औसत भार कारक (लोड फेक्टर) पर संचालित होते हैं जो कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में 464 पैसे प्रति यूनिट दर से संबद्ध थे। इसे देखते हुए इसमें 4 पैसे प्रति यूनिट औसतन **कमी** हुई है।

2.20 कोयला खदानें (कोल माईन्स)

(i) इस श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रभार की दरें **अपरिवर्तित** हैं।

(ii) स्थायी प्रभार में रूपये 15 प्रति केवीए प्रति माह की **कमी** की गई है। तदनुसार इसमें 3.75 प्रतिशत की कमी की गई है।

2.21 औद्योगिक एवं गैर–औद्योगिक श्रेणी

(i) इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ का **युक्तियुक्तकरण** किया गया है।

(ii) 11 केवी एवं 132 केवी वोल्टेज स्तर के **औद्योगिक** उपभोक्ताओं के लिए स्थायी प्रभार में क्रमशः 30 रूपये प्रति केवीए प्रति माह और 100 रूपये प्रति केवीए प्रति माह की **कमी** की गई है।

(iii) 33 केवी एवं 132 केवी वोल्टेज स्तर पर **औद्योगिक** उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभार क्रमशः 5 पैसे प्रति यूनिट एवं 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है।

(iv) 11 केवी एवं 132 केवी वोल्टेज स्तर पर **गैर–औद्योगिक** उपभोक्ताओं हेतु स्थायी प्रभार क्रमशः 30 रूपये प्रति केवीए प्रति माह एवं 100 रूपये केवीए प्रति माह **कम** किये गये हैं।

(v) 33 केवी एवं 132 केवी वोल्टेज स्तर के **गैर–औद्योगिक** उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभार क्रमशः 5 पैसे प्रति यूनिट एवं 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है।

(vi) 11 केवी औद्योगिक एवं गैर–औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के ऊर्जा प्रभार में 5 पैसे प्रति यूनिट की **कमी** की गई है।

2.22 मौसमी (सीजनल) उद्योग

(i) मौसमी (सीजनल) तथा गैर–मौसम (ऑफ सीजन) के दौरान अलग–अलग ऊर्जा तथा स्थायी प्रभारों की अवधारणा लागू की गई है।

(ii) मौसम के दौरान स्थायी तथा ऊर्जा प्रभार वित्तीय वर्ष 2006–07 के **अनुरूप** रखे गये हैं।

(iii) गैर–मौसम (ऑफ सीजन) अवधि में स्थायी प्रभारों पर 90 प्रतिशत तक की **रियायत** प्राप्त की जा सकेगी। तथापि, उपभोक्ताओं पर ऊर्जा प्रभार, मौसमी ऊर्जा प्रभारों के 120 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किये जावेंगे।

2.23 उच्चदाब सिंचाई तथा जल प्रदाय संयंत्र

(i) सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु स्थायी तथा ऊर्जा प्रभारों में किसी प्रकार के **बड़े परिवर्तन नहीं किये गये हैं**। 132 केवी पर प्रचालित सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र के स्थायी प्रभारों में मात्र रू. 4 प्रति केवीए प्रति माह की दर से वृद्धि की गई है।

(ii) सामूहिक सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन) तथा उद्वहन सिंचाई योजना (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम संबंधी) श्रेणियों को सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र श्रेणी में संविलीन कर दिया गया है। अतः सामूहिक सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई श्रेणी के स्थायी तथा ऊर्जा प्रभारों में उल्लेखनीय रूप से क्रमशः रू. 40 प्रति केवीए तथा 30 पैसे प्रति यूनिट की दर कमी हुई है।

2.24 थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिडेन्शियल यूजर्स)

(i) थोक आवासीय प्रयोक्ताओं हेतु स्थायी तथा ऊर्जा प्रभार **अपरिवर्तनीय** रखे गये हैं।

(ii) इस शीर्ष के अंतर्गत एक नवीन श्रेणी अर्थात् ''**सहकारी समूह गृह निर्माण संस्थाएं** (कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज)'' का सृजन किया गया है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु स्थायी प्रभार थोक आवासीय प्रयोक्ताओं को रू. 100 प्रति केवीए की दर से लागू की तुलना में कम कर मात्र रू. 20 प्रति केवीए की दर से रखे गये हैं। इस श्रेणी के 11 केवी तथा 33 केवी के उपभोक्ताओं पर ऊर्जा प्रभार में क्रमशः 25 पैसे प्रति यूनिट तथा 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से कमी की गई हैं।

2.25 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

2.26 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु पारेषण की विद्युत दरें :

वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान योग्य पारेषण टैरिफ दरें वहीं रखी गई हैं जैसा कि इन्हें वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु बहु–वर्षीय टैरिफ आदेश में अवधारित किया गया था । तथापि, वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु व्ययों का सत्यापन किया गया है तथा रू. 94.23 करोड़ की राशि पारेषण कंपनी को भुगतान किये जाने बाबत् अनुज्ञेय की गई है। यह व्यय वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2007–08 में भुगतान किये जावेंगे तथा इन्हें वितरण कंपनियों की वर्ष 2007–08 की समग्र राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर) में उनके अंशदान के अनुपात के अनुसार शामिल कर लिया गया है ।

2.27 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु उत्पादन टैरिफः

विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा व्ययों के सत्यापन हेतु अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु बहु–वर्षीय टैरिफ आदेश में अवधारित की गई टैरिफ दर को इसमें बिना किसी वृद्धि या कमी किये, चालू रखे जाने संबंधी आदेश जारी किया गया ।

अध्याय – 3

वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान जारी किये गये विनियम/विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा। तद्नुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में उपरोक्त दर्शाये गये अधिनियमों में उपलब्ध लगभग समस्त उपबंधों को सम्मिलित कर लिया गया है, सिवाय कुछ अपवादों के, जैसे कि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के अन्तर्गत ऊर्जा बाजार के विकास से संबंधित तथा अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों द्वारा संधारित की जाने वाली न्यूनतम जानकारी । इन शेष विनियमों को तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है । वर्ष 2006–07 के दौरान विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची परिशिष्ट – 2 में संलग्न है ।

अध्याय – 4

उपभोक्ता सेवाएं, विनियमों का परिपालन तथा अनुज्ञप्तिधारियों के अनुपालन मानदण्ड

4.1 आयोग उपभोक्ताओं के हितों के संवर्धन में सक्रिय रूप से कार्यशील है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, आयोग द्वारा आवश्यक पहल कर कई कदम उठाये गये हैं । राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन हेतु मापदण्डों का निर्धारण किया जाना इस दिशा में एक बड़ा कदम है । वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं हितों के संरक्षण के संबंध में की गई पहल तथा इसका वर्ष के दौरान अनुवीक्षण किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न दर्शायें गये परिच्छेदों में दिया गया है ।

4.2 **अनुपालन मानदण्ड** : आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन योग्य समस्त प्रचालनीय अनुपालन मानदण्डों का समीक्षा की जा रही है। आयोग निरन्तर अनुज्ञप्तिधारियों के सम्पर्क में है, तथा जहाँ सुधार अपेक्षित है वहाँ उचित दिशा–निर्देश जारी कर रहा है। इन प्रचालनीय मानदण्डों में विनिर्दिष्ट की गई समय सीमाएं तय की गई हैं जो कि उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय पुनःस्थापित किये जाने बाबत, त्रुटियों में सुधार, मापयंत्रों (मीटर) संबंधी शिकायतें, देयकों में त्रुटियों में सुधार, खराब मापयंत्रों/ट्रांसफार्मरों को बदला जाना, उपभोक्ता शिकायतों का निपटान आदि बाबत हैं ।

4.3 **शिकायत निवारण सेवा केन्द्र (काल सेंटर)** : आयोग के दिशा–निर्देशों तथा निरंतर प्रयासों द्वारा तीनों वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित प्रत्युत्तर/निवारण हेतु उनके मुख्यालयों पर सेवा केन्द्र (काल सेंटर) स्थापित किये गये हैं । उनके द्वारा किये गये अनुपालन का निरंतर अनुवीक्षण किया जा रहा है तथा शिकायतों के निवारण हेतु इसमें सकारात्मक सुधार पाया गया है ।

4.4 **विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम** :

आयोग द्वारा फोरमों की कार्यप्रणाली पर निगरानी की जा रही है, जिससे कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके । इन फोरमों द्वारा पंजीकृत

किये गये तथा निराकृत किये गये प्रकरणों के विवरण परिशिष्ट–3 में दर्शाये गये हैं । दर्शायें गये विवरणों से ज्ञात होता है कि ये फोरम प्रकरणों का निपटान सुनिश्चित किये जाने में काफी तत्परता बरत रहे हैं तथा लंबित प्रकरणों की संख्या भी अधिक नहीं है ।

4.5 **विद्युत लोकपाल** : नये विद्युत लोकपाल द्वारा दिनांक 8 मई 06 को कार्यभार ग्रहण किया गया है तथा उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों का त्वरित गति से निपटान किया जा रहा है । प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी हुई है । विद्युत लोकपाल द्वारा माह मई 06 से मार्च 07 तक 68 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है । विद्युत लोकपाल द्वारा सामान्य रूप से अभ्युक्ति की गई है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष के दौरान अनुपालन मानदण्डों को बनाये रखा गया है तथा मापयंत्रों (मीटरों), वोल्टेज समस्याओं, आदि के संबंध में कोई बड़ी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतर शिकायतें बिलिंग से संबंधित थी जिनमें कि उपभोक्ताओं के संस्थापनों की जांच किये जाने पर अनियमितताएं पाई गईं थीं। वित्तीय वर्ष 2006–07 से संबंधित विद्युत लोकपाल के प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद परिशिष्ट–4 में संलग्न है ।

4.6 **उपभोक्ता मामलों में गैर–सरकारी संगठनों का सन्निहित होना** : आयोग द्वारा 118 गैर–सरकारी संगठनों को विभिन्न उपभोक्ताओं से संबंधित विषयों पर सहायता प्राप्त किये जाने हेतु पंजीकृत किया गया है जिससे कि उपभोक्ताओं में जागरूकता लाई जा सकेगी तथा उनके हितों का संवर्धन भी किया जा सकेगा । आयोग का मत है कि गैर–सरकारी संगठनों की सहायता उपभोक्ताओं के हित संवर्धन की दिशा में काफी लाभदायक होगी । वर्ष के दौरान, कुछ गैर–सरकारी संगठनों को आयोग के मीटरिंग परामर्शदाताओं द्वारा किये गये मीटर परीक्षणों की परीक्षणात्मक जांच में अनुलग्न किया गया ताकि जागरूकता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके । इसके अतिरिक्त, वह गैर–सरकारी संगठनों को नियमित आधार पर और अधिक सक्रिय किये जाने पर भी विचार किया जा रहा है ।

4.7 **मीटरिंग/ऊर्जा अंकेक्षण सलाहकार** : आयोग द्वारा लघु–अवधि आधार पर मीटरों के मानकों के संधारण के अनुवीक्षण हेतु तथा अन्य मीटर संबंधी विषयों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऊर्जा अंकेक्षण से संबंधित कार्य हेतु मीटरिंग/ऊर्जा अंकेक्षण सलाहकार नियुक्त किये

गये थे । उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर मीटरिंग/ऊर्जा अंकेक्षण में सुधार लाये जाने हेतु आयोग द्वारा वितरण कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

4.8 **तत्काल देयक प्रदाय व्यवस्था (स्पॉट बिलिंग)** : मीटर वाचन गतिविधि में सुधार लाये जाने तथा संबंधित शिकायतों को कम किये जाने हेतु, आयोग द्वारा तीनों वितरण कंपनियों को निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु हस्त–चलित पाम–टॉप कम्प्यूटरों के उपयोग द्वारा तत्काल देयक प्रदाय व्यवस्था (स्पॉट बिलिंग) लागू किये जाने के निर्देश दिये हैं । म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर में स्पॉट बिलिंग व्यवस्था प्रारंभ की जा चुकी है तथा अब तक इसकी प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक पाई गई है ।

4.9 **विद्युत देयक संग्रहण सुविधाएं** : आयोग द्वारा बिल संग्रहण केन्द्रों की विद्यमान स्थिति की समीक्षा की गई थी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के बिल भुगतान सुविधाएं प्रदान किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया था । वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस दिशा में कुछ सुधार भी किये गये हैं । मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर में विभिन्न नामांकित स्थानों पर चौबीसों घंटे चेक द्वारा बिल भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है । वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इलेक्ट्रानिक बिल भुगतान की सुविधा भी उपभोक्ताओं को भोपाल शहर में प्रदान की गई है तथा इस सुविधा को अन्य स्थानों पर भी प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है ।

4.10 **नियामक परिपालन** : आयोग द्वारा नियामक परिपालन हेतु विनियम जारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों को परिपालन के प्रतिवेदक (रिपोर्टर ऑफ कम्पलायेंस) नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जो कि नियमित आधार पर आयोग के सम्पर्क में रहेंगे तथा वे नियमित रूप से नियामक परिपालन हेतु विषयों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे । आयोग नियतकालिक रूप से विभिन्न विनियमों के अन्तर्गत प्रदान किये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन की समीक्षा कर रहा है तथा नियामक परिपालन में सुधार लाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत नियामक परिपालन संबंधी प्रतिवेदन समय–समय पर आयोग की वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जा रहे हैं ।

अध्याय – 5

वित्तीय वर्ष 2006–07 का वार्षिक लेखा–जोखा

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग फंड स्थापित किया गया है जिसमे रू. 4,95,31162/– की राशि विभिन्न आय शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त की गई है । वर्ष 2006–07 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत रू. 1,80,02,606/– का व्यय किया गया तथा रू 99,23,826 का पूंजीगत व्यय किया गया। इसके विवरण **परिशिष्ट – 5** में दर्शायें गये हैं । आयोग द्वारा रूपये 75,00,000/– (रूपये पचहत्तर लाख) की द्वितीय किश्त का भुगतान राज्य शासन को किया जा चुका है, जो राज्य शासन द्वारा आयोग को म.प्र. हाऊसिंग बोर्ड से कार्यालय भवन क्रय करने हेतु स्वीकृत ऋण राशि रूपये 2,24,96000/– (रूपये दो करोड़ चौबीस लाख छयान्वे हजार) से संबंधित है ।

परिशिष्ट – 1

आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यगणों का विवरण

स. क्र.	नाम	पद नाम	कार्यग्रहण की तिथि	सेवा निवृत्ति के लिये निर्धारित तिथि
01.	डा. जे.एल. बोस	अध्यक्ष	15.02.2007	11.01.2010
02.	श्री डी. रायबर्धन	सदस्य (अभियांत्रिकी)	21.01.2003	20.01.2008
03	श्री आर. नटराजन	सदस्य (इकोनोमिक्स)	08.05.2003	07.05.2008

परिशिष्ट – 2

दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 तक जारी विनियम

अन्तिम विनियम/संशोधन तथा परिवर्धन

स.क्र.	विनियम का नाम	तिथि	अधिसूचना तिथि	टिप्पणी
01.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (छटा संशोधन) **(एजी–1(vi),वर्ष 2006)**	15 जून, 06	30 जून 06	अन्तिम
02.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (सातवां संशोधन) **(एजी–1(vii),वर्ष 2006)**	12 जुलाई, 06	28 जुलाई 06	अन्तिम
03.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (आठवां संशोधन)**(एजी–1(viii),वर्ष 2006)**	28 जुलाई, 06	11 अगस्त, 06	अन्तिम
04.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (नवां संशोधन)**(एजी–1(ix),वर्ष 2006)**	11 अगस्त, 06	25 अगस्त, 06	अन्तिम
05.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (दसवां संशोधन)**(एजी–1(x),वर्ष 2006)**	25 अगस्त, 06	29 सितम्बर, 06	अन्तिम
06.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (ग्यारवां संशोधन)**(एजी–1(xi),वर्ष 2006)**	25 जनवरी, 07	9 फरवरी, 07	अन्तिम
07.	मध्यप्रदेश (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2004 (द्वितीय संशोधन)**(एजी–3(ii),वर्ष 2006)**	1 सितम्बर, 06	15 सितम्बर, 06	अन्तिम
08.	मप्र विनिआ (परामर्शी की नियुक्ति), विनियम, 2004 (चतुर्थ संशोधन/परिवर्धन)**(एजी–6(iv),वर्ष 2006)**	25 अप्रैल, 06	28 अप्रैल, 06	अन्तिम
09.	मप्र विनिआ (परामर्शी की नियुक्ति), विनियम, 2004 (पंचम संशोधन/परिवर्धन) **(एजी–6(v),वर्ष 2006)**	22 अगस्त, 06	25 अगस्त, 06	अन्तिम
10.	मप्र विनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड), विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) तृतीय संशोधन/परिवर्धन **(एआरजी–8(1)(iii), वर्ष 2006)**	18 सितम्बर, 06	29 सितम्बर, 06	अन्तिम
11.	मध्यप्रदेश ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–प्रथम, 2005) प्रथम संशोधन **(ए(आरजी–14(1)(i),वर्ष 2006)**	3 अक्टूबर, 06	13 अक्टूबर, 06	अन्तिम
12.	मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण), विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2006)(विनियम16,2006) **(आरजी–16,वर्ष 2006)**	5 मई, 06	19 मई 06	अन्तिम
13	मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उदग्रहण एवं	30 नवम्बर 2006	8 दिसम्बर, 2006	अन्तिम

	संग्रहण), विनियम, 2004 (प्रथम पुनरीक्षण, वर्ष 2006) **(ए(आरजी–16 (i), वर्ष, 2006)**			
14.	मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 (तृतीय संशोधन) **(एजी–17 (iii), वर्ष 2006)**	11 मई, 2006	26 मई, 2006	अन्तिम
15.	मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 (चतुर्थ संशोधन)**(एजी–17(iv),वर्ष 2006)**	5 अगस्त, 06	18 अगस्त, 06	अन्तिम
16.	मप्रविनिआ (विद्युत क्रय एवं अश्याप्ति प्रक्रिया), विनियम, 2004 (पुनरीक्षण – प्रथम, 2006) विनियम 19 (1), वर्ष 2006 **(आरजी–19(I),,वर्ष 2006)**	10 अप्रैल, 06	21 अप्रैल, 06	अन्तिम
17.	मप्रविनिआ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2005 (द्वितीय संशोधन) **(एजी–24(ii),वर्ष 2006)**	3 अक्टूबर, 06	13 अक्टूबर, 06	अन्तिम
18.	मप्रविनिआ (विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2006 **(आरजी–27 (1) वर्ष 2006)**	26 अक्टूबर, 06	10 नवम्बर, 06	अन्तिम
19.	मप्रविनिआ (पारंपरिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, 2006 **(जी–30, वर्ष 2006)**	18 सितम्बर, 06	29 सितम्बर, 06	अन्तिम
20.	मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2006 **(जी–31, वर्ष 2006)**	20 नवम्बर, 06	24 नवम्बर, 06	अन्तिम
21.	मप्र विनिआ (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 (प्रथम संशोधन / परिवर्धन)	22 अगस्त, 06	25 अगस्त, 06	अन्तिम

दिनांक 31.03.2007 की स्थिति में
प्रारूप विनियम जिनके लिये सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई हैं ।

स.क्र.	विनियम का नाम	प्रकाशन की तिथि	टिप्पणी
1.	म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2004,बारहवॉ प्रारूप संशोधन (एजी–1(xii),वर्ष 2007)	22.09.2006	(जन साधारण से टीप प्राप्ति हेतु प्रकाशित किया गया)
2.	म.प्र. विद्युत संहिता 2004, तेरहवॉ प्रारूप संशोधन (एजी–1(xiii),वर्ष 2007)	15.11.2006	(जन साधारण से टीप प्राप्ति हेतु प्रकाशित किया गया)
3.	म.प्र.वि.नि.आ.(संतुलन तथा व्यवस्थापन) संहिता	29.09.06	(जन साधारण से टीप प्राप्ति हेतु प्रकाशित किया गया)

परिशिष्ट – 3

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा वर्ष 2006–07 में शिकायतों के निपटान का विवरण					
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम–पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायातों की संख्या	दिनांक 31.03.07 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इन्दौर	11	160	166	5
2	धार	17	42	59	0
3	खरगौन	2	16	17	1
4	बड़वानी	0	10	9	1
5	खण्डवा	0	5	5	0
6	बुरहानपुर	70	174	227	17
7	झाबुआ	1	2	2	1
8	उज्जैन	7	95	96	6
9	रतलाम	2	35	37	0
10	मंदसौर	0	5	4	1
11	नीमच	1	7	8	0
12	देवास	4	31	34	1
13	शाजापुर	1	8	9	0
	कुल योग	116	590	673	33
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवाराण फोरम–पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
1	जबलपुर	33	22	52	3
2	कटनी	11	34	44	1
3	मंडला	–	8	8	–
4	डिंडोरी	–	3	3	–
5	नरसिंहपुर	28	19	43	4
6	सिवनी	–	19	17	2
7	बालाघाट	2	16	15	3
8	छिंदवाडा	–	33	31	2

9	रीवा	31	162	186	7
10	सतना	7	40	37	10
11	सीधी	3	71	73	1
12	शहडोल	22	29	47	4
13	उमरिया	2	3	5	—
14	अनूपपुर	3	25	27	1
15	सागर	14	32	45	1
16	दमोह	2	16	18	—
17	छतरपुर	20	25	43	2
18	पन्ना	11	6	17	—
19	टीकमगढ़	5	4	8	1
	कुल योग	194	567	719	42
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम– मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
1	ग्वालियर	148	167	291	24
2	दतिया	—	2	1	1
3	मुरैना	29	30	51	8
4	भिण्ड	—	3	3	—
5	गुना	2	19	20	1
6	अशोकनगर	—	—	—	—
7	शिवपुरी	1	3	4	—
8	श्योपुरकला	—	1	1	—
9	भोपाल	13	30	39	4
10	विदिशा	4	27	24	7
11	होशंगाबाद	8	11	19	—
12	बैतूल	1	13	10	4
13	राजगढ़	2	7	7	2
14	सीहोर	—	3	1	2
15	रायसेन	2	6	8	—
16	हरदा	1	7	4	4
	कुल योग	211	329	483	57

परिशिष्ट – 4

कार्यालय – विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

क्रमांक /मप्रविनिआ/2007/298   भोपाल, दिनांक – 30 अप्रैल, 2007

प्रति,

आयोग सचिव,
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग,
शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

विषय : वर्ष 2006–07 हेतु विद्युत लोकपाल का वार्षिक प्रतिवेदन ।

म प्र विनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 की कण्डिका 5.5 (ए) में प्रावधान है कि विद्युत लोकपाल छःमाही आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे, जिसमें कि अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत निर्दिष्ट, लोकपाल के द्वारा पिछले 6 माह में संव्यवहारित शिकायतों की प्रकृति, अनुज्ञप्तिधारी की शिकायत निवारण के संबंध में प्रतिक्रिया तथा लोकपाल की टिप्पणी के विवरण प्रदान किये जावेंगे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के परिपालन में, माह जनवरी 06 से जून 06 का प्रतिवेदन आयोग के पत्र क्रमांक 271 दिनांक 17.08.2006 द्वारा प्रस्तुत किया गया था । चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है, अतः वर्ष 2006–07 की विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जाना उचित होगा । अतः, दिनांक 1 अप्रैल, 06 से 31 मार्च, 07 तक का प्रतिवेदन आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है । प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान शिकायतों के निपटान की प्रगति शिकायतों के निपटान के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी की प्रतिक्रिया, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्य रूप से निष्पादित अनुपालन के मानक तथा अन्य सुझाव दर्शायें गये हैं ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

हस्ता/–

(के. शंकर नारायणन)
विद्युत लोकपाल

वर्ष 2006—07 हेतु विद्युत लोकपाल का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2006—07 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन निम्नानुसार दर्शाया गया है :

1. **उपभोक्ता की शिकायतों की प्रकृति**

निम्न तालिका विद्युत लोकपाल द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों की प्रकृति/निपटान की गई संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है ।

(वर्तमान लोकपाल द्वारा दिनांक 8 मई, 2006 को कार्यालय का कार्यभार संभाला गया)

शिकायत की प्रकृति	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत	एक माह से कम की अवधि से लंबित	एक माह से अधिक परन्तु तीन माह तक लंबित	तीन माह से अधिक परन्तु छः माह तक लंबित	छः माह से अधिक अवधि से लंबित	कुल लंबित (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	.	1	1	.				.
वोल्टेज संबंधी शिकायतें	.		.	.				.
भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	.		.	.				.
मीटर संबंधी शिकायतें	4	3	6	.	.	.	1	**1**
विद्युत देयक संबंधी शिकायतें	31	44	41	1	10	11	12	**34**
विद्युत प्रदाय का असंयोजन तथा पुर्न संयोजन संबंधी	.		.	.	.	.	.	.
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	1	6	6	.	1	.	.	**1**
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग/भार में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	10	10	14	.	2	.	4	**6**
योग	**46**	**64**	**68**	**1**	**13**	**11**	**17**	**42**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकतम शिकायतें बिलिंग से संबंधित हैं जिनमें कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के संस्थापनाओं की जांच की गई तथा कुछ अनियमितताएं

पाई गईं । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपूरक (सप्लीमेंटरी) देयक जारी किये गये जिसके संबंध में उपभोक्तागण संतुष्ट नहीं थे तथा उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई । लोकपाल द्वारा नियमित बिलिंग के संबंध में संव्यवहारित शिकायतें काफी कम थी ।

शिकायतों के निवारण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी की प्रतिक्रिया तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन मानदण्डों का प्रतिपालन

आयोग द्वारा जारी विनियम के अनुसार, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान त्रि–स्तरीय प्रणाली द्वारा किया जावेगा । निराकरण का प्रथम स्तर अनुज्ञप्तिधारी का आन्तरिक निराकरण तंत्र, द्वितीय स्तर विद्युत फोरम तथा तृतीय स्तर विद्युत लोकपाल का है ।

राज्य में लगभग 65 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। जबलपुर, भोपाल तथा इन्दौर स्थित प्रत्येक विद्युत फोरम में पंजीकृत प्रकरणों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि वर्ष 2006–07 के दौरान कुल 1486 शिकायतें प्राप्त हुईं । दिनांक 31.3.07 की स्थिति में जबलपुर स्थित फोरम में 42 प्रकरण, भोपाल स्थित फोरम में 57 प्रकरण तथा इन्दौर स्थित फोरम में 33 प्रकरण लंबित थे । उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना में शिकायतों की संख्या काफी कम है तथा अनुज्ञप्तिधारी की आन्तरिक शिकायत निवारण प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य सम्पादन कर रही है । फोरमों द्वारा निराकृत प्रकरणों में से, उपभोक्ताओं द्वारा वर्ष के दौरान लोकपाल के समक्ष केवल 64 प्रकरणों में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जो कि फोरमों के स्तर पर प्रकरणों के निपटान की प्रक्रिया को काफी संतोषजनक प्रदर्शित करता है । यह राज्य के उपभोक्ताओं से संबंधित अनुपालन के मानदण्डों का सकारात्मक पाया जाना भी प्रतिबिंबित करता है। वर्ष के दौरान वोल्टेज संबंधी समस्याएं तथा मीटरों से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से प्राप्त नहीं की गईं । तथापि, यह पाया गया कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उनके प्रकरण फोरम तथा लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने में उनकी प्रतिक्रिया में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समस्त वांछित जानकारी समयबद्ध रूप से प्रस्तुत की जावे तथा प्रकरण सक्षम व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किये जावें ।

हस्ता/–

(के. शंकर नारायणन)
विद्युत लोकपाल

परिशिष्ट – 5

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

वित्तीय वर्ष 2006–07 की प्राप्तियॉ तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र

स.क्र.	प्राप्तियां	राशि (रुपये)
ए	**प्रारंभिक शेष**	
1	नगद एवं बैंक में	12136306
2	आई.सी.आई.सी.आई बैंक में सावधि जमा राशि	75215554
	योग (ए)	**87351860**
बी	**आय**	
1	याचिका शुल्क	42952800
2	विविध प्राप्तियां	64105
3	सत्यापित प्रति शुल्क	665
4	बैंक से प्राप्त ब्याज	6427292
5	वाहन किराया	6500
6	नोट बुक कम्पूटर की वसूली	79800
	योग आय (बी)	**49531162**
सी	**प्रतिभूति निक्षेप**	
1	प्रतिभूति निक्षेप	390259
2	सी.पी.एफ. देय	92724
	योग आय (सी)	**482983**
	कुल प्राप्तियॉ (ए+बी+सी)	**137366005**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल वित्तीय वर्ष 2006–07 की प्राप्तियॉ तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र		
स.क्र.	भुगतान शीर्ष	राशि (रुपये)
डी	**व्यय**	
1	अवकाश यात्रा सुविधा	42945
2	अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन	1581657
3	अधिकारियों का वेतन	4385482

4	तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का वेतन	1624100
5	चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का वेतन	881299
6	मानदेय राशि	315596
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	250197
8	मजदूरी व्यय	87952
9	यात्रा व्यय	527221
10	डाक एवं तार व्यय	64746
11	दूरभाष व्यय	437361
12	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	35103
13	मुद्रण एवं स्टेशनरी	477728
14	विद्युत एवं जल प्रदाय पर व्यय	417462
16	सेमिनार एवं सम्मेलन	135888
17	व्यवसायिक सेवाएं	2532459
18	अनुरक्षण व्यय	295085
19	पुस्तकें एवं प्रकाशन	5072
21	विज्ञापन और प्रकाशन एवं प्रसार	1678158
22	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रिकेंट	278801
23	कर्मचारी कल्याण	12490
24	अन्य व्यय	3802
25	कार्यालय भवन किराया	287547
26	अंकेक्षण फीस	69875

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल वित्तीय वर्ष 2005–06 की प्राप्तियॉ तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र		
स.क्र.	भुगतान शीर्ष	राशि (रुपये)
	कुल व्यय (डी)	**16428026**
ई	ऋण भुगतान तथा ब्याज	
1	म.प्र.शासन को ऋण की अदायगी (प्रथम किश्त)	7500000
2	म.प्र.शासन से प्राप्त ऋण पर ब्याज की अदायगी	1574580
	योग (ई)	**9074580**
एफ	स्थाई परिसंपतियों का क्रय	
1	मशीनरी तथा उपकरण	57390
2	कार्यालय भवन (मेट्रो प्लाजा) हेतु भुगतान	9077238
3	फर्नीचर	4639
4	अन्य मशीनरी (कम्प्यूटर)	784559
	योग (एफ)	**9923826**
जी	सुरक्षा निधि जमा	
1	म.प्र. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल को जमा की गई सुरक्षा निधि	202000
	योग (जी)	202000
एच	अन्य लेखा	
1	राजस्थान बैंक में आवर्ती जमा लेखा	79800
	योग (एच)	**79800**
आई	अंतिम शेष	
1	नगद तथा बैंक में जमा	22350598
2	आई.सी.आई.सी.आई बैक में सावधि जमा राशि	57602143
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में सावधि जमा राशि	10852516
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में सावधि जमा राशि	10852516
	योग (आई)	**101657773**
	कुल भुगतान (ई+एफ+जी+एच+आई)	**137366005**